लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व)
(जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी **चेतन देवड़ा,** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या / 95 / 2019 (सू.अ.)
पंजीयन दिनांकः– 26.11.2019

श्री बदरीलाल काबरा पिता स्व. श्री रामचन्द्र काबरा निवासी कुम्भानगर, चित्तौड़गढ़

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी • जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

निर्णय

दिनांक 24.12.2019

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 17.10.2019 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्रांक प्र.सं. सूचना का अधिकार 95 / 2019 / (19.12) / 716 दिनांक 27.11.2019 से सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को दिनांक 19.12.2019 से पूर्व कमेंट्स प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी सम संख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 19.12.2019 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

अपीलार्थी ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपना पक्ष रखा कि मेरे द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 17.10.2019 से राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के सदस्य श्री डी. आर. मीणा द्वारा तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी श्री जगदीश चन्द्र हेड़ा, तत्कालीन

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तहसीलदार चित्तौड़गढ़ श्री रणधीर सिंह एवं तत्कालीन आयुक्त नगर पालिका श्री दिलीप गुप्ता की उपस्थिति में मौका निरीक्षण किया गया उक्त मौका निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 19.05.2012 पर, उपखण्ड कार्यालय, चित्तौड़गढ़ के राजस्व शाखा द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना/प्रमाणित प्रतिलिपियां चाही गई, जबकि सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ ने उनके पत्रांक/सूचना का अधिकार/2019/295 दिनांक 16.12.2019 (अपीलार्थी को प्राप्ति दिनांक 18.12.2019) से मुझे वांछित सूचना आयुक्त, नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ से प्राप्त करने हेतु लिखा है। अतः मेरे आवेदन अनुसार सूचना उपलब्ध कराई जाने का आदेश प्रदान करावें।

सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ ने अपने पत्र क्रमांक/सूचना का अधिकार/2019/296 दिनांक 18.12.2019 से कमेंट्स प्रेषित किये कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रार्थी श्री बद्रीलाल पिता रामचन्द्र काबरा द्वारा प्रस्तुत मौका निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 19.05.2012 पर विभाग द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी सूचना पत्र क्रमांक/सूचना का अधिकार/2019/295 दिनांक 16.12.2019 रजिस्टर्ड ड़ाक द्वारा भिजवाई जा चुकी है।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील तथा सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्रांक/सूचना का अधिकार/2019/296 दिनांक 18.12.2019 से प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नक का अवलोकन कर उस पर मनन किया। जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 17.10.2019 से मौका निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 19.05.2012 पर उपखण्ड कार्यालय, चित्तौड़गढ़ द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी सूचना/प्रमाणित प्रतिलिपियां चाही गई है जबकि सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ ने अपने पत्रांक/सूचना का अधिकार/2019/295 दिनांक 16.12.2019 से अपीलार्थी को वांछित सूचना आयुक्त, नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ से प्राप्त करने हेतु लिखा है।

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या 95 / 2019 (सू.अ.)
श्री बदरी लाल काबरा निवासी चित्तौड़गढ़ बनाम सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़

निष्कर्षतः अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाती है तथा सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को 07 दिवस में उसके द्वारा वांछित सूचना निः शुल्क उपलब्ध करा पालना से अवगत करावें।

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज)

Web Copy - Not Official

(चेतन देवड़ा)
आई.ए.एस.
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्र. / सरिश्ता / प्र.सं. / 95 / 2019(सू.अ.) / 762 दिनांकः– 26 / 12 / 2019

प्रतिलिपिः–

1. सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़
2. श्री बदरी लाल काबरा पिता स्व. श्री रामचन्द्र काबरा निवासी क–4, हाउसिंग बोर्ड, कुम्भानगर, चित्तौड़गढ़

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़ (राज.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Chetan Ram Deora
Date: 2020.01.13 19:38:08 IST
Reason: SelfAttested
Location: